भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
पशुपालन और डेयरी विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 3732
दिनांक 25 मार्च, 2026 के लिए प्रश्न

घटिया पशु आहार

3732 श्रीमती सागरिका घोषः

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) मिश्रित पशु आहार के उत्पादन के लिए लाइसेंस प्राप्त निर्माताओं की कुल संख्या कितनी है तथा उसका श्रेणी-वार (सार्वजनिक/निजी) ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत पाँच वर्षों के दौरान घटिया या अप्रमाणित मिश्रित पशु आहार के पेलेट की बिक्री के संबंध में प्राप्त शिकायतों की वर्ष-वार संख्या कितनी है तथा तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसी शिकायतों में से कितनी शिकायतों का निपटारा किया गया, कितनी लंबित हैं तथा निरीक्षण, जब्ती, लगाए गए जुर्माने और प्रारंभ किए गए अभियोजन सहित क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) क्या मंत्रालय घटिया पशु आहार के कारण पशुओं के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों के संबंध में कोई आंकड़े रखता है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

उत्तर
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री
(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क) भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) से प्राप्त जानकारी के अनुसार**,** मिश्रित पशु आहार से संबंधित आईएस 2052:2009 के अंतर्गत**,** 250 विनिर्माताओं को लाइसेंस प्रदान किया गया है। इनमें से 191 विनिर्माता निजी क्षेत्र से और 59 सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित हैं।

(ख) भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार**,** पिछले पांच वर्षों के दौरान खराब गुणवत्ता वाले या अप्रमाणित मिश्रित पशु आहार पेलेट्स की बिक्री के संबंध में प्राप्त शिकायतों का विवरण नीचे तालिका में दिया गया है**:**-

क्रम सं.	**शिकायत सं.**	**शिकायत की तारीख**	**लाइसेंस प्रदाता राज्य**	**शिकायत की श्रेणी**	**शिकायत की स्थिति**	**की गई कार्रवाई रिपोर्ट**
1.	P-23360	14-11-2025	उत्तर प्रदेश	उत्पाद की गुणवत्ता	बंद	शिकायत साबित न होने के कारण बंद कर दी गई।
2.	P-22249	24-04-2025	राजस्थान	उत्पाद की गुणवत्ता	बंद	शिकायत साबित न होने के कारण बंद कर दी गई।

(ग) भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के उल्लंघन और गोपशुओं के लिए मिश्रित पशु आहार पर आईएसआई चिह्न के दुरुपयोग के मामले में दिनांक 12.07.2024 को धुले**,** महाराष्ट्र में तलाशी और जब्ती अभियान चलाया गया। अगस्त 2024 में अभियोजन मामला दर्ज किया गया और सफल अभियोजन के बाद**,** अदालत ने उल्लंघनकर्ताओं पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया।

(घ) पशुपालन राज्य का विषय है**,** इसलिए मत्स्यपालन**,** पशुपालन और डेयरी मंत्रालय खराब गुणवत्ता वाले पशु आहार के कारण गोपशुओं के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों से संबंधित आंकड़े नहीं रखता है।
